न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
63 / 2019	26.12.2019	13.07.2022

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह(आर.ए.एस.)

उनवान

1– जगदीश आत्मज श्री गंगाराम जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1– गंगाराम आत्मज गोबरिया जी जाति मीणा निवासी महराना तह0 दीगोद जिला कोटा
2– हंसराज आत्मज गंगाराम जी जाति मीणा निवासी महराना तह0 दीगोद जिला कोटा
3– योगेन्द्र आत्मज महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा
4– प्रियंका पुत्री महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा
5– काली बाई बेवा महावीर जी जाति मीणा निवासी महराना तह0 दीगोद जिला कोटा
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिपक्षीगण)

1– प्रार्थी की ओर से– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
2– अप्रार्थीगण – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का प्रर्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है।

यह कि प्रतिपक्षी नं0 1 प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 के पिता एवं प्रतिपक्षी नं0 3–4 के दादा एवं नं0 5 के ससुर है। एवं प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 प्रतिपक्षी नं0 1 के पुत्र , प्रतिपक्षी नं0 3–4 पौत्र है व प्रतिपक्षी नं0 1 के मृतक पुत्र महावीर की संतान है तथा एक ही परिवार के सदस्य है।

यह कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न विवरण की कुल 8 किता की 3.44 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जो प्रतिपक्षी नं0 1 के खाते में दर्ज चली हा रही है। जो उनके पिता गोबरिया जी से प्राप्त हुई है।

खसरा नं0 207 रकबा 0.04 हेक्टर
खसरा नं0 375 रकबा 0.72 हेक्टर
खसरा नं0 411 रकबा 0.80 हेक्टर
खसरा नं0 420 रकबा 0.17 हेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज0)

खसरा नं0 453 रकबा 0.60 हेक्टर
खसरा नं0 458 रकबा 0.49 हेक्टर
खसरा नं0 461 रकबा 0.28 हेक्टर
खसरा नं0 545 रकबा 0.34 हेक्टर
कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर

यह कि उपरोक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है। जो प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिपक्षी नं0 1 के तीन पुत्र प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 तथा पुत्र महावीर हुये। प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को अपने तीनों पुत्रों को देकर एक हिस्सा अपने पास रखा, जिसे प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण उपरोक्त भूमि में प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 प्रतिपक्षी नं0 1 के साथ अपना नाम दर्ज करा कर सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

यह कि उक्त भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण की आजीविका का एक मात्र साधन है तथा प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है, उक्त भूमि पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 व प्रतिपक्षी नं0 1 का शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि प्रतिपक्षी नं0 1 ,वादी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का खाद बीज आदि की ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। व काश्त करने में काफी परेशानी आ रही है। उक्त भूमि ही प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन है।

यह कि उक्त कारण से प्रार्थी ने प्रतिवादी नं0 1 को प्रार्थी, प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने हेतु दिनांक 16.12.2019 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ने नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया साथ ही साथ उक्त भूमि को बेचान, खुर्द बुर्द व अन्तरण व हस्तान्तरण करने की धमकी दी। यदि उक्त भूमि को प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द , रहन, बेचान, दान, वसीयत व अन्तरण आदि कर दिया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा।

यह कि प्रार्थी का केस प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 207 रकबा 0.04 हेक्टर , ख0नं0 375 रकबा 0.72 हेक्टर, ख0नं0 411 रकबा 0. 80 हेक्टर, ख0नं0 420 रकबा 0.17 हेक्टर, ख0नं0 453 रकबा 0.60 हेक्टर, ख0नं0 458 रकबा 0.49 हेक्टर , ख0नं0 461 [illegible] रकबा 0.34 हेक्टर, , कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर भूमि अथवा उ[illegible] कि[illegible] भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, बेचान, दान, वसीयत तथा अ[illegible] आदि नही [illegible] उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। तथा [illegible] बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested

ह0
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।
1– नकल फोटो कॉपी जमाबन्दी ग्राम महराना सम्वत् 2074–2077

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत करवायी गई अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवायी गयी। अप्रार्थीगण क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण प्रार्थना को अस्वीकार किया जाकर विशेष कथन एवं आपत्तियां कि:–

यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में अंकित ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 207 रकबा 0.04 हेक्टर , ख0नं0 375 रकबा 0.72 हेक्टर, ख0नं0 411 रकबा 0.80 हेक्टर, ख0नं0 420 रकबा 0.17 हेक्टर, ख0नं0 453 रकबा 0.60 हेक्टर, ख0नं0 458 रकबा 0.49 हेक्टर , ख0नं0 461 रकबा 0.28 हेक्टर, ख0नं0 545 रकबा 0.34 हेक्टर, , कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 गंगाराम के खातेदारी में दर्ज है प्रतिपक्षी क्रम 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 5 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

यह कि प्रतिपक्षी नं0 1 परिवार का मुख्यिा है वादी व प्रतिपक्षी 2 ता 5 का पिता व दादा व ससुर है प्रतिपक्षी नं0 1 परिवार का मुखिया होने के कारण अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया गया, प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा सेठ साहुकार से ब्याज पर ऋण लेकर, वादी व प्रतिपक्षी नं0 2 की शादी विवाह किया गया , प्रतिपक्षी नं0 1 इनके शादी विवाह , लालन पालन , शिक्षा में कर्ज में डूबता गया ओर वादी व प्रतिवादी नं0 2 व प्रतिवादी नं0 3 ता 5 के पिता महावीर शादी होने के बाद सभी अलग अलग निवास करने लग गये किसी के भी द्वारा अपने पुत्र होने के कर्तव्य का पालन नही किया गया ओर प्रतिपक्षी नं0 1 कर्ज में डूबता गया।

यह कि वादी शादी होने के बाद में अपनी पत्नी को लेकर कोटा निवास करने लग गया ओर ठेकेदारी का काम करने लग गया जिससे वादी को अच्छी आमदनी होने लग गई ओर वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 5 द्वारा प्रतिपक्षी नं0 1 को कर्ज चुकाने के लिये किसी प्रकार कोई आर्थिक सहायता नही की गई। प्रतिपक्षी नं0 1 उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपनी पत्नी का पालन पोषण करता हे ओर जो रकम बचती है जिसको कर्ज में देता है। प्रतिपक्षी नं0 1 के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है।

यह कि उक्त आराजी प्रतिपक्षी नं0 1 के रिकार्डेड खातेदारी में दर्ज है, उक्त आराजी पर अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त आराजी पर वादी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 5 का भी कब्जा काश्त नही रहा है ओर न ही प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा उक्त आराजी को वादी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 5 को काश्त करने के लिये दी गई। प्रतिपक्षी नं0 1 उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार होने से व उक्त आराजी कब्जे काश्त में होने से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी [illegible] जारी नही की जा सकती है।

यह कि वादी शराबी व लडाकू , [illegible] प्रवृति के [illegible] है जो आये दिन प्रतिपक्षी नं0 1 के साथ लडाई झगडा करता [illegible] के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:53:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

गलत तथ्य बताकर न्यायालय को गुमराह करते हुये गलत रूप से प्रतिपक्षी नं0 1 रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व एक तरफा स्थगन प्राप्त कर लिया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टान्त दौराने बहस प्रस्तुत किये गयेः–

1– 2021(2) आर आर टी 855
2– 2021(2) आर आर टी 858
3– 2021(2) आर आर टी 1026
4– 2021(2) आर आर टी 1029
5– 2020(2) आर आर टी 617
6– 2020(2) आर आर टी 625

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से न्यायिक दृष्टान्त दौराने बहस प्रस्तुत किये गयेः–

1– आर आर टी 2014(1)523
2– आर आर टी 2013(1)123
3– आर आर टी 2009(2) 1399
4– आर आर टी 2014(2)1301
5– आर आर टी 2016(2)1145
6– आर आर टी 2013(1)123
7– आर आर टी 2015(1)977
8– आर आर टी 2015(2)1115

पत्रावली बहस में नियत की गई। बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब के कथनों को दोहराया गया है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का गहन अध्ययन एवं मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नजर आजा है तथा अपूरणीय क्षति होना भी प्रार्थी को संम्भावना है। अप्रार्थी क्रम 1 ने भी अपने जवाब में उक्त विवादित आराजी में अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त करना स्वीकार किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष की बहस का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी में प्रतिपक्षीगण विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है। अतः मूल वाद फैसल होने तक विवादित आराजी में अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। दिनांक 26.12.2019 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

13.7.22

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:05 IST
Reason: SelfAttested